फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पर्वतसिंह पिता श्री नाहरसिंह राठौड, नि0 माण्डावाडा, पोस्ट पडासली, राजसमन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 12/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 23.03.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( ) सू0अ0,05/2021/358–59 दिनांक 12.03.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2020 सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 14.12.2020 व इस अनुभाग को 14.12.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 01 से 10 तक की सम्पर्क पोर्टल के परिवाद संख्या 102007888699883 की सूचना चाही गई। प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र में वर्णित सम्पर्क पोर्टल के परिवाद संख्या 102007888699883 की सूचना सर्म्पक पोर्टल अनुभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर जो सूचना थी वह इस अनुभाग को उपलब्ध कराने पर आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 10 तक सूचना के कुल पृष्ठ 24 होने से प्रार्थी को इस अनुभाग के जरिये पत्र क्रमांक प.1( )सू0अ0,05/2020/1081 दिनांक 15.12.2020 से 48/– रूपये कार्यालय में जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। पत्र की पालना में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना शुल्क राशि 48/– रूपये कार्यालय में जमा करा दिनांक 30.12.2020 को सूचना प्राप्त कर ली गई हैं। प्रार्थी अपीलार्थी का अपील पेश कर यह कहना कि आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 2 से 10 तक सूचना मुझे नही मिली। इस क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया वह राजस्थान सर्म्पक पोर्टल पर दिया गया परिवाद ऑनलाईन प्राप्त हुआ तथा ऑनलाईन ही परिवाद पर सभी कार्यवाही हुई जिसकी सूचना प्रार्थी को शुल्क राशि जमा कर सूचना उपलब्ध कराई गई हैं सूचना वही दी जा सकती है जो पहले से अभिलेख पर उपलब्ध हो। जो सूचना कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध थी वह प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)